Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4140/2001/अलवर

1. रामनारायण पुत्र कन्नी
2. श्रीचन्द पुत्र जगन
3. छाजिया पुत्र जगन
4. मु. पांची बेवा जगन
5. जलसिंह पुत्र नत्थू
6. रतन पुत्र नत्थू
7. दारिया पुत्र गुगडा
8. छोटेलाल पुत्र सुगडा मृतक जरिये वारिसान–

8/1. हीरालाल
8/2. भवानी
8/3. जसराम उर्फ टिकू पुत्रगण छोटेलाल

9. रिछपाल पुत्र सुगडा मृतक जरिये वारिसान–

9/1.मु. फूली पवत्नी रिछपाल
9/2. धनसिंह पुत्र रिछपाल
9/3. म. हीरा पुत्री रिछपाल
9/4. मु. धोली पुत्री रिछपाल

10. रामचन्द्र पुत्र सुगडा
11. शीशराम पुत्र सुगडा
12. शेरसिंह पुत्र सुगडा
13. मु0 गिनदो बेवा सुगडा
14. उमराव पुत्र मानसिंह मृतक जरिये वारिसान–

14/1. ओमप्रकाश पुत्र उमराव

15. बूला पुत्र मानसिंह मृतक नाम तर्क
16. लालाराम पुत्र मानसिंह मृतक जरिये वारिसान–

16/1. श्रीमती कमला पत्नी लालाराम
16/2. दीपक पुत्र लालाराम
16/3. पुजा पुत्री लालाराम
16/4. मंजू पुत्री लालाराम

17. रामअवतार पुत्र मानसिंह
18. जौहरी लाल पुत्र हरिया
19. ओमकार पुत्र हरिया
20. मदन पुत्र हरिया मृतक जरिये वारिसान

20/1. मु. संतरा बेवा मदनलाल
20/2. हनुमान
20/3. विक्रमसिंह पुत्रगण मदनलाल नाबालिग जरिये वली माता मु.संतरा

21.जसवन्त पुत्र झम्मन
22. बृजलाल पुत्र झम्मन

23. मल्ली पत्नी बदलू
24. मोहरसिंह पुत्र बदलू
25. प्रहलाद पुत्र मंगतिया मृतक जरिये वारिसान–
25/1. श्रीमती पार्वती पत्नी प्रहलाद
25/2. रामकुमार
25/3. उदमी
25/4. ईश्वर पुत्रगण प्रहलाद
26. मल्लड पुत्र धन्ना
27. मनभर पुत्र धन्ना
28. मंतन पुत्र नत्थू मृतक जरिये वारिसान–
28/1. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी मंतन
28/2. बनवारी
28/3. गिर्राज
28/4. दयाराम पुत्रगण मंतन
29. रामजीलाल पुत्र प्रेमा
30. झूंथा पुत्र प्रेमा
31. शिब्बू पुत्र प्रेमा
32. हरलाल पुत्र बेगराज
33. धाडी पुत्र बेगराज
समस्त जाति गुजरान निवासी गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री श्यामलाल गुर्जर, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.पी. माथुर, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री आयूब खां, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.03.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–06–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गहनकर स्थित साबिक खसरा नम्बर 266मिन, 267/1, 267/2, 266मिन, 267/2 हाल खसरा नम्बर 476, 477, 479, 480, 481, 482, 403 एवं 484 कुल रकबा 09बीघा 11बिस्वा है जिसमें से 05बीघा 17बिस्वा भूमि पर वादी कन्नी व मृतक जगन जिनके वारिसान वादीगण 2, 3 व 4 है, जो अरसे दराज से काबिज काश्त है तथा वादीगण का इस रकबे पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से कब्जा काश्त रहा है, जिन्हें इस रकबे पर कानूनन हकूक खातेदारी हासिल हो चुके है। इस रकबे पर वादीगण 1 लगायत 4 के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। शेष विवादित आराजी का रकबा 03बीघा 14बिस्वा रकबा जो रूडा पुत्र जीवना गुर्जर की खातेदारी का था, जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2021 में खातेदारी का हो रहा है। उसने विवादित रकबा दीगर आराजियात सहित वादीगण व उनके पिताओं को दिनांक 22–6–1963 के द्वारा जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड बैचान कर दिया, जिसका इन्द्राज भी सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में हो चुका है। इसलिए विवादित आराजी का रकबा 05बीघा 17बिस्वा वादीगण 1 लगायत 4 व शेष 03बीघा 14बिस्वा रकबा मुताबिक हिस्सा बैयनामा के समस्त वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। विवादित आराजी पर श्योनारायण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी को

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से खिलाफ मौका कब्जा काश्त के मृतक श्योनारायण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2029 में दर्ज कर दी तथा उसके बाद प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई। वादीगण को इस गलत इन्द्राज का ज्ञान दिनांक 13–09–1995 को हल्का पटवारी से हुआ, जिस पर वादीगण द्वारा गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का कहा, जिस पर उसके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः वाद वादीगण उक्तानुसार डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02–05–2000 से वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–06–2001 से खारिज कर की। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी संख्या–1 से 4 के पिता कन्नी व जगन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के समय से ही विवादित आराजी पर बहक कृषक काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त

अधिनियम के प्रभाव में आने क समय स्वतः खातेदार काश्तकार हो गये। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने अपने दावे के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2017 व जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2051 के बैचान दिनांक 22–6–1963 की नकलें व मिलन क्षेत्रफल पेश किये थे, जिससे सिद्ध वादपत्र में अंकित कथनों की पुष्टि होती है तथा विवादित भूमि पर निरन्तर वादीगण के कब्जे काश्त में होना सिद्ध होता है। उनका कथन है कि विपक्षी का सर्वप्रथम नाम सम्वत् 2020 में हुए बन्दोबस्त के दौरान दर्ज किया गया था, इससे पूर्व विपक्षी का नाम किसी भी रिकार्ड में दर्ज नहीं है। बन्दोबस्त विभाग को इस तरह के इन्द्राज करने के अधिकार नहीं थे किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने विपक्षी का नाम सम्वत् 2021 में दर्ज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि वादी संख्या–5 लगायत शेष द्वारा विवादित भूमि जो जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22–6–19063 से रूडा पुत्र जीवण गुर्जर से खरीद की थी तब से ही 03बीघा 14बिस्वा आराजी पर वादी संख्या–5 लगायत शेष का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जो जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से सिद्ध है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 विवादित आराजी से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां है, जिन्हें प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे। योग्य अधिवक्त अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1987

आरआरडी एचसी पेज 202, 2001 आरआरडी पेज 441, 1996 डीएनजे एससी पेज 01, 2008 आरआरटी I पेज 151, 2013 आरआरटी I पेज 226 एवं पेज 391, 1984 आरआरडी पेज 51, 1991 आरआरडी पेज 274, 2000 आरआरडी पेज 278 आदि पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग ने खातेदार के इन्द्राज को रिपीट किया है व अपीलार्थीगण की जो काश्त दर्ज थी, उसको हटाकर कोई गलती नहीं की है क्योंकि जमाबन्दी में काश्त दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थीग्ण ने ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि खरीदी गयी भूमि व विवादित भूमि एक ही हो। उनका कथन है कि रजिस्टी पुराने नम्बरों की थी, अतः जब तक मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं कर दिया जाता तब तक खरीदी हुई भूमि के बारे में दावा साबित नहीं हो सकता था। उनका कथन है कि शेष भूमि के बारे में वादीगण तभी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते है जब सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज हो। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील के स्तर पर प्रार्थनापत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये है, जिन्हें इस स्तर पर रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन समवर्ती विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को निर्णीत करना उचित समझते है। योग्य अपीलार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के साथ विवादित आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रतियां पेश कर रिकार्ड पर लिये जाने का अनुतोष चाहा है। विवादित आराजी से सम्बन्धित उक्त राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारणों का उल्लेख प्रार्थनापत्र में किया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात विवादित आराजी से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां है, जिनकी प्रमाणिकता पर सन्देह किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के मद्देनजर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 20–06–2003 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी कुल रकबा 09बीघा 11बिस्वा है जिसमें से 05बीघा 17बिस्वा भूमि पर वादी कन्नी व मृतक जगन जिनके वारिसान वादीगण 2, 3 व 4 है, जो अरसे दराज से काबिज काश्त है तथा वादीगण का इस रकबे पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से कब्जा काश्त रहा है, जिन्हें इस रकबे पर कानूनन हकूक खातेदारी हासिल हो चुके है। इस रकबे पर वादीगण 1 लगायत 4 के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। शेष विवादित आराजी का रकबा 03बीघा 14बिस्वा रकबा जो रूडा पुत्र जीवना गुर्जर की खातेदारी का था, जिसका अमल

जमाबन्दी सम्वत् 2021 में खातेदारी का हो रहा है। उसने विवादित रकबा दीगर आराजियात सहित वादीगण व उनके पिताओं को दिनांक 22–6–1963 के द्वारा जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड बैचान कर दिया, जिसका इन्द्राज भी सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में हो चुका है। इसलिए विवादित आराजी का रकबा 05बीघा 17बिस्वा वादीगण 1 लगायत 4 व शेष 03बीघा 14बिस्वा रकबा मुताबिक हिस्सा बैयनामा के समस्त वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। विवादित आराजी पर श्योनारायण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से खिलाफ मौका कब्जा काश्त के मृतक श्योनारायण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2029 में दर्ज कर दी। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी के पुराने राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दियों में उनके पक्षकार विवादित आराजी पर गैर मौरूसी के रूप में काबिज काश्त थे, जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के समय से ही विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो गये। विवादित आराजी से सम्बन्धित हमारे समक्ष प्रस्तुत की गयी जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रतियों में अपीलार्थीगण के पूर्वज कन्नी व जगन की काश्त दर्ज है। इसके साथ ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदारियों में भी वादीगण के पूर्वज की विवादित आराजी पर काश्त दर्ज होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। साथ ही विवादित आराजी में से कुछ भूमि वादीगण की ओर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय किया जाना भी स्पष्ट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सरसरी तौर पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये

बिना प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विवादित आराजी बाबत् वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से जवाबदावा लेकर मूल वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करे। तत्पश्चात् पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनकर मूल वाद में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 25–06–2001 एवं सहायक कलक्टर, तिजारा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02–05–2000 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, तिजारा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे सहायक कलक्टर, तिजारा के न्यायालय में दिनांक 23.04.2018 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(श्यामलाल गुर्जर)
सदस्य